

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना शमसाबाद

दि०-21.05.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त संजू उर्फ संजय पुत्र रामदास निवासी खवाजा अहमदपुर कटिया थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु०अ०स०- 122/2019 वाद संख्या 184/2019 धारा 498ए,302 भा०द०वि० थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय ए०डी०जे० / एफटीसी प्रथम कोर्ट द्वारा दिनांक 21.05.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 30000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्रीमती दीपिका कटियार



को० मो० हे०का० सुनील कुमार



पैरोकार - हे०का० राजेश कुमार